।।श्री।।

माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल, ग्वालियर म.प्र.

प्रकरण क्रमांक – /निगरानी/2016–17 नि.ग्र-2018-ABP-16

श्रीमती ममता जैन पति मुकेश जैन, आयु 44 वर्ष, धंधा व्यापार, निवासी 146, शिवाजीपार्क, उज्जैन

अनावेदक/निगरानीकर्ता

विरूद्ध

म.प्र. शासन द्वारा तहसीलदार आगर मालवा .

आवेदक/प्रत्यर्थी

श्री .... द्वारा आज दि. 24.6.16 को प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं के अन्तर्गत तहसीलदार तहसील आगर मालवा जिला आगर मालवा के द्वारा प्रकरण क्र. /रीडर–एक/2016– /571 दिनांक 15–06–16 में जारी कारण बताओ सूचना पत्र असंतुष्ट होकर

निगरानी

माननीय महोदय,

प्रार्थी/अनावेदक की ओर से निम्नलिखित निगरानी प्रस्तुत है –

प्रकरण के तथ्य

यह कि, आवेदक ने स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि सर्वे क्रमांक 517, 518, 519, 520 एवं 521/1 कुल रकबा 6.52 हेक्टर स्थित ग्राम मालीखेड़ी तहसील आगर मालवा जिला आगर मालवा पर स्थित है यह भूमि प्रार्थी ने पृथक–पृथक 8 विक्रय पत्र के माध्यम से उनके स्वामियों से क्रय की है और इस पर प्रार्थी का नामांतरण होकर शासन द्वारा भू अधिकार व ऋण पुस्तिका प्रदान की गयी है। इस भूमि का आवेदक ने विधिवत डायवर्सन करवाया, कालोनाईजर का लायसेंस प्राप्त किया और विकास अनुमति प्राप्त कर इसका अभिन्यास स्वीकृत करवाया और इस भूमि पर प्रार्थी ने शीखर होम्स के नाम से कालोनी का विकास कार्य किया और स्थित भूखण्ड विक्रय करना प्रारंभ किया और कुछ भूखण्ड विक्रय भी कर दिये। इस भूमि के संबंध में स्वामित्व के संबंध में किसी प्रकार कोई विवाद नहीं है।

यह कि अनावेदक तहसीलदार प्रार्थी के विरूद्ध एक कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 15–06–16 को जारी किया और यह प्रकट किया कि प्रार्थी ने शासकीय भूमि सर्वे नंबर 527/1 के पूर्वी भाग पर 0.30 हेक्टर एवं दक्षिण पश्चिम भाग पर 0.36 हेक्टर ग्राम मालीखेड़ी पर अतिक्रमण किया है और इस पर एक 50

ममताजैन

निर..2

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-2018-पीबीआर/16 **जिला** - आगर मालवा

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
10/1/19	आवेदक की ओर से . अधिवक्ता श्री सुनील सक्सैना उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अत: यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 24.4.19 को कलेक्टर, जिला आगर मालवा के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	

भाग पर 0.36 हेक्टर ग्राम मालाखेड़ा पर ...

ममताजैन

नि.2